

THE EXECUTIVE PROGRAMME OF THE CULTURAL AND EDUCATIONAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN FOR 1997 & 1998

Whereas the Government of the Republic of India and the Government of the Sultanate of Oman are desirous of developing their cultural and educational cooperation in pursuance of the Cultural Agreement signed by the two parties in Muscat on 3.8.1991; accordingly, the two Governments have agreed upon the following as the Executive Programme for the years 1997 and 1998:

CHAPTER - I EDUCATION

1. The two Parties shall exchange the visits of professors of Sultan Qaboos University and Jawaharlal Nehru University. Other details like the period of such visits, shall be decided through diplomatic channels.
2. The two Parties shall facilitate the participation of 3-4 Academics in national/international conferences and seminars held in the other country and also provide facilities for the visit of such academics to centres of their interest in the host country for a period up to two weeks. Information regarding subjects, dates and venues of these conferences and seminars will be exchanged well in advance.
3. The two Parties shall exchange 4-6 Academics working in universities and institutes to deliver lectures and exchange expertise for a period up to two weeks.
4. The two Parties shall enable post graduate students and researchers to benefit from the documents and books in the document centres and public libraries and extend to them the facilities required in collecting information from other sources for their researches.
5. The two Parties will exchange necessary information in English on curriculums, syllabi, etc., to enable both Parties to establish and determine the equivalence of degrees/diplomas, certificates, etc., awarded by the universities and other educational institutions of both countries.
6. The Indian Party shall allocate to the Omani Party an agreed number of scholarships in the Indian universities. Such scholarships and the details thereof shall be specified through the diplomatic channels.

CHAPTER - II

CULTURE

1. The two Parties shall seek to promote cooperation between their respective cultural institutions, libraries and museums, as well as exchange copies of documents and manuscripts about each country which are located in the other country subject to the prevalent rules and regulations concerning such exchange.
2. The two Parties shall seek to support cooperation in fields of printing, publication and translation of books relevant to both countries.
3. The two Parties shall encourage the participation in the international book fairs held in each other's country on commercial basis.
4. The two Parties shall encourage their folkloric companies to exchange visits as often as possible so as to introduce their respective peoples to such arts. The details will be decided through diplomatic channels.
5. The two Parties shall support cooperation between their respective theatre organizations exchanging each other's production shows.
6. The two Parties shall seek to exchange visits by their respective cultural officials, researchers and artists so as to maintain cultural communication between their two countries. The details of such visits will be decided through diplomatic channels.

CHAPTER - III

GENERAL PROVISIONS

- a) EXCHANGING VISITS FOR A PERIOD NOT MORE THAN ONE MONTH
 - i) The visiting Party shall bear the full cost of two-way fares of its individuals and delegations.
 - ii) The host Party shall provide accommodation, boarding, internal and local transport necessary for the fulfilment of the visit programme and pocket money for incidental expenses.
 - iii) The two Parties shall ensure medical treatment in case of emergencies.
- b) EXHIBITIONS AND FAIRS
 - i) The exhibitor Party shall forward to the host Party proposals regarding the intended exhibition or fair which may include all relevant technical data not less than 3 months in advance of the exhibition or fair inauguration.
 - ii) The exhibitor Party shall bear the cost of the two-way flight of the exhibits from their home site to their first site within the host country and back home from their final site in the host country.

iii) The exhibitor Party shall bear the cost of the insurance policy on the exhibits.

iv) The host Party shall bear the cost of customs licences and internal transportation and the cost of display including all relevant publicity and production of posters, catalogues and brochures. The size, type and timing of each exhibition shall be discussed and determined through diplomatic channels.

v) One person may accompany the exhibition, if considered necessary by the exhibitor Party, and in such cases, hospitality will be provided by the host Party.

vi) The host Party shall take the relevant security measures for the protection of the exhibits during the period the exhibition is in its territory.

vii) In the event of any exhibit being exposed to any damage etc., whatsoever, the host Party is pledged to providing, at its own cost, the exhibitor Party with the relevant documents which may help in filing an insurance claim.

c) **SCHOLARSHIPS**

i) Each Party shall provide to the scholar of the other Party:

a) maintenance allowance for the scholars of postgraduate and higher studies/ research/training/specialization at the prevalent rates at that time.

b) tuition/examination/compulsory fees.

c) medical expenses (except those incurred on tonics, dentures, surgical appliances, artificial limbs, spectacles and similar articles) according to the rules of the institutions concerned.

d) cost of any student excursions in accordance with the relevant college or university regulations.

e) cost of books, instruments and equipment necessary for the course of studies within the ceiling prescribed from time to time.

f) hostel reservation charges, if any.

d) **EXCHANGE OF PUBLICATIONS**

i) Each of the two Parties shall bear the cost of any printed matter or tape-recordings it seeks to send to the other Party.

CHAPTER - IV
VALIDITY AND AMENDMENT OF THE PROGRAMME

1. Either Party can propose the addition or amendment of any Articles in this Programme through the relevant diplomatic channel.
2. Both Parties shall meet at least six months prior to the expiry date of this Programme in order to set up a new Programme, at a time and venue which should be mutually determined through diplomatic channels.
3. This Programme shall come into force from the date of signing thereof.

Done at New Delhi on the 12th day of Chaitra 1919 (SAKA), corresponding to the 2nd day of April 1997 (AD) in six originals, two each in Hindi, Arabic and English languages, all text being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA


(S.R. BOMMAI)

Minister of
Human Resource Development

FOR THE GOVERNMENT OF
THE SULTANATE OF OMAN


(SAYYID FAISAL BIN ALI AL SAID)

Minister of
National Heritage and Culture

वर्ष 1997 एवं 1998, के लिए भारत गणराज्य की सरकार और ओमान सल्तनत की सरकार के बीच सांस्कृतिक व शैक्षिक करार का कार्यकारी कार्यक्रम

जबकि भारत गणराज्य की सरकार और ओमान सल्तनत की सरकार 3.8.1991 को मस्कट में दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित सांस्कृतिक करार के अनुसरण में अपने-अपने सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग विकसित करने की इच्छा रखती है, तदनुसार दोनों सरकारें वर्ष 1997 एवं 1998 के लिए निम्नलिखित कार्यकारी कार्यक्रम पर सहमत हुई हैं:

अध्याय-1

शिक्षा

1. दोनों पक्षकार सुल्तान काबूस विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर्सों के दौरों का आदान-प्रदान करेंगे। ऐसे दौरों की अवधि जैसे अन्य ब्योरे राजनयिक माध्यमों से तय किए जाएंगे।
2. दोनों पक्षकार एक-दूसरे के देश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों व सेमिनारों में 3-4 शिक्षाविदों की सहभागिता को सुकर बनाएंगे और दो सप्ताह की अवधि के लिए ऐसे शिक्षाविदों के मेजवान देश में उनके रुचि के केन्द्रों में भ्रमण करने के लिए सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएंगे। इन सम्मेलनों और सेमिनारों के विषयों, तारीखों और स्थलों के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान अग्रिम रूप से किया जाएगा।
3. दोनों पक्षकार व्याख्यान देने और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने के लिए, विश्वविद्यालयों व संस्थाओं में कार्यरत 4-6 शिक्षाविदों का दो सप्ताह तक की अवधि के लिए आदान-प्रदान करेंगे।

4. दोनों पक्षकार प्रलेख केंद्रों व सार्वजनिक पुस्तकालयों के दस्तावेजों व पुस्तकों से स्नातकोत्तर छात्रों व शोधकर्ताओं को लाभान्वित करने को सुकर बनाएंगे तथा अन्य स्रोतों से उनके शोध-कार्य के लिए सूचना एकत्र करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
5. दोनों पक्षकार पाठ्यचर्याओं, पाठ्यक्रमों आदि के संबंध में अंग्रेजी में आवश्यक सूचना का आदान-प्रदान करेंगे, ताकि दोनों पक्षकारों के विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त उपाधियों/डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों आदि की समकक्षता स्थापित व निर्धारित की जा सके।
6. भारतीय पक्षकार, भारतीय विश्वविद्यालयों में निर्धारित संख्या में छात्रवृत्तियां ओमानी पक्षकार के लिए आवंटित करेगा। ऐसी छात्रवृत्तियां और तत्संबंधी ब्यौरे राजनयिक माध्यमों से तय किये जाएंगे।

अध्याय- 11

संस्कृति

1. दोनों पक्षकार अपनी-अपनी सांस्कृतिक संस्थाओं, पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों के बीच सहयोग को प्रोन्नत करेंगे तथा एक-दूसरे देश में अवस्थित दस्तावेजों व पांडुलिपियों की प्रतियों का, संबंधित प्रचलित नियमों व विनियमों के अधीन, आदान-प्रदान करेंगे।
2. दोनों पक्षकार, दोनों देशों के लिए प्रासंगिक पुस्तकों के मुद्रण, प्रकाशन एवं अनुवाद के क्षेत्र में सहयोग देंगे।

3. दोनों पक्षकार एक-दूसरे के देश में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में, वाणिज्यिक आधार पर सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे।
4. दोनों पक्षकार यथा संभव बहुधा दौरों के आदान-प्रदान के लिए लोकवार्ता-मंडलियों को प्रोत्साहित करेंगे, ताकि ऐसी कलाओं के बारे में दोनों देशों के लोगों को जानकारी हासिल हो सके। व्यौरे राजनयिक माध्यमों से तय किए जाएंगे।
5. दोनों पक्षकार अपने-अपने थिएटर संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे और एक-दूसरे की निर्माण-प्रस्तुतियों का आदान-प्रदान करेंगे।
6. दोनों पक्षकार, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संचार को कायम रखने के उद्देश्य से, अपने-अपने सांस्कृतिक अधिकारियों, शोधकर्ताओं व कलाकारों के दौरों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे। ऐसे दौरों के व्यौरे राजनयिक माध्यमों से तय किए जाएंगे।

अध्याय-III

सामान्य प्रावधान

- क॥ अधिकतम एक माह की अवधि के लिए दौरों का आदान-प्रदान करना
- 1॥ भ्रमणकारी पक्षकार अपने व्यक्तियों तथा शिष्टमंडलों के आने-जाने के किराये की पूरी लागत वहन करेगा।
- 11॥ मेजबान पक्षकार दौरा कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक आवास, भोजन, आंतरिक और स्थानीय परिवहन तथा आकस्मिक व्ययों के लिए जेब-खर्च प्रदान करेगा।

- 111§ दोनों पक्षकार आपात काल की स्थिति में चिकित्सकीय उपचार सुनिश्चित करेंगे।
- स§ प्रदर्शनियाँ एवं मेले
- 1§ प्रदर्शक पक्षकार मेजबान पक्षकार को प्रदर्शनी या मेले के उद्घाटन के कम-से-कम 3 महीने पहले अभिप्रेत प्रदर्शनी या मेले के उद्घाटन के संबंध में प्रस्ताव, जिसमें सभी संगत तकनीकी आँकड़े शामिल हैं, भेजेगा।
- 11§ प्रदर्शक पक्षकार प्रदर्शों को उनके गृह स्थल से मेजबान देश के भीतर उनके प्रथम स्थल तक ले जाने और वापस उन्हें मेजबान देश के अंतिम स्थल तक लाने के बारे में आने-जाने का वायुयान किराये की लागत वहन करेगा।
- 111§ प्रदर्शक पक्षकार प्रदर्शों पर बीमा नीति की लागत वहन करेगा।
- 11/§ मेजबान पक्षकार सभी प्रासंगिक प्रचार-कार्य और पोस्टरों, सूची-पत्रों और विवरणिकाओं के प्रकाशन सहित सीमा शुल्क लाइसेन्सों और आंतरिक परिवहन तथा प्रदर्शन की लागत वहन करेगा। प्रत्येक प्रदर्शनी के आकार, प्रकार और समय के संबंध में राजनयिक माध्यमों से विचार किया जायेगा और उन्हें तय किया जाएगा।
- 1/§ यदि प्रदर्शक पक्षकार द्वारा आवश्यक समझा जाय, तो एक व्यक्ति प्रदर्शनी के साथ जा सकता है, और ऐसे मामलों में, मेजबान पक्षकार द्वारा आदर-सत्कार किया जायेगा।

1/1॥ मेजबान पक्षकार उस अवधि के दौरान जब प्रदर्शनी उसके क्षेत्र में हैं, प्रदर्शों की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक सुरक्षा उपाय करेगा।

1/11॥ प्रदर्शों को किसी प्रकार की क्षति आदि पहुंचने के मामले में चाहे व जिस किस्म की हो, मेजबान पक्षकार अपनी स्वयं की लागत पर प्रदर्शक पक्षकार को संगत कागजात प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है, जो बीमा संबंधी दावा करने में सहायक हो।

ग. अध्येतावृत्तियां

1॥ प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को निम्नांकित प्रदान करेगा:

क॥ स्नातकोत्तर और उच्च अध्ययनों/अनुसंधान/प्रशिक्षण/ विशेषीकरण के अध्येताओं के लिए उस समय प्रचलित दरों पर रस्-स्वाव भत्ता।

ख॥ शिक्षण/परीक्षा/अनिवार्य शुल्क ।

ग॥ संबंधित संस्थाओं के नियमों के अनुसार चिकित्सकीय व्यय ॥ टॉनिक, नकली दांतों, सर्जिकल उपकरणों, कृत्रिम अंगों, चशमों और समरूपी वस्तुओं पर किए गए व्यय को छोड़कर।

घ॥ प्रासंगिक महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार छात्रों के किसी भ्रमण की लागत।

- ड. § समय-समय पर निर्धारित सीमा के भीतर अध्ययन-पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक पुस्तकों, यंत्रों और उपकरण की लागत।
- च § छात्रावास आरक्षण प्रभार, यदि कोई हो।
- घ § प्रकाशनों का आदान-प्रदान
- । § दोनों पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार किसी मुद्रित सामग्री या टेप-रिकार्डिंग की, जो वह दूसरे पक्षकार को भेजना चाहता है, लागत वहन करेगा।

अध्याय - 11/

कार्यक्रम की वैधता और उसमें संशोधन

1. कोई भी पक्षकार संगत राजनीतिक माध्यमों से इस कार्यक्रम में किन्हीं अनुच्छेदों को जोड़ने या उसमें संशोधन करने का प्रस्ताव कर सकता है।
2. दोनों पक्षकार इस कार्यक्रम की समाप्ति तिथि से कम-से-कम छः माह पूर्व एक नया कार्यक्रम तय करने हेतु किसी समय या स्थान पर बैठक करेंगे जो पारस्परिक रूप से राजनीतिक माध्यमों से तय किए जाएंगे।
3. कार्यक्रम इसके हस्ताक्षर होने की तिथि से लागू हो जायेगा।

नई दिल्ली में 1919 §शक§ के चैत्र माह के 12 वें दिन तदनुसार 1997 §ईसवी सन्§ के अप्रैल माह के 2 वें दिन हिंदी, अरबी और अंग्रेजी प्रत्येक भाषा में दो-दो कुल छः मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। संदेह की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

ओमान सल्तनत की सरकार
की ओर से



§एस.आर. बोम्मई§
मानव संसाधन विकास मंत्री



§सेयद फैजल बिन अली अल सईद§
राष्ट्रीय विरासत एवं संस्कृति मंत्री